ed by the Government to select the most appropriate site for the National Training Institute for Ground Water spell out the hsuitability of each site offered by the various State Goverhments/Union Territory of Chandigarh keeping in view the criteria like cost of land, infrastructural facilities available, scope of assistance and administrative support to be made available by te concerned State Government etc.

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्य

2258. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों के सिंचाई-कार्य संबंधी कार्यक्रम का सरकार द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किए गए इन कार्यों की समीक्षा किस प्रकार करने का विचार रखती है जिससे यह पता लगाया जा सके कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास-कार्य प्रगति पर है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई विकास सामान्यतया लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से होता है। तथापि, कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में भी सिंचाई प्रदान करने के लिए वृहद माध्यम परियोजनायें शुरू की हैं । चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, अतः इन परियोजनाओं/योजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण एवं क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । ऐसे कार्यक्रमों के पुनरीक्षणमूल्यांकन हेतु उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है :

(i) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत वृहद एव मध्यम सिंचाई कार्यों का प्रबोधन ।

(ii) कल्याण मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक साथ मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार के अधिकरियों द्वारा मौके पर जांच ।

(iii) गैर-सरकारी तथा अनुसधान सगठनों द्वारा अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रभावित सिंचाई परियोजनायें

2259. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रभावित हुई है ;

(ख) कौन-कौन सी परियोजनायें अधूरी रह गई हैं, वर्ष 1980 के पूर्व इनका कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी ;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) गुजरात की सिंचाई परियोजनायें जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण पूरी नहीं की जा सकी, का ब्यौरा निम्नवत है :